बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 123 / 2013–14

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नामः– आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, नवादा के राजस्व प्राप्ति का अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधिः– वर्ष 97–98 से 12–13 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नामः– गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षणाधिन अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अवधि :– प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर द्रष्टव्य।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं अवधिः– प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर द्रष्टव्य।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम, एवं पदनामः– (1) श्री अनिल कुमार, प्रधान लिपिक

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नामः– (1) श्री मनोज रंजन, व0अं0–2

(2) श्री कुमार कंचन सिन्हा, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 11.02.2014 एवं 15.07.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :– 06.03.14 पुनः 09.09.14

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस 25 दिन

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की – परिशिष्ट (ग) पर द्रष्टव्य।

सूचीः–

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :– विभागी आदेश सं0 – 61 दिनांक – 01.07.2014 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भुगतान के आधार पर अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं बैंकों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति, माननीय न्यायालय के आदेश पर दखल दहानी में लगे सुरक्षा बलों एवं पुराने वाहनों एवं सामानों की नीलामी से प्राप्त राजस्व की राशि की जाँच तक ही सीमित रहा।

(क) अंकेक्षण का प्रकार :– सामान्य।

(ख) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि :– कार्यालय आदेश सं0 – 10 दिनांक – 21.01.2014 एवं विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक – 15.09.1960 के निदेशानुसार कार्य सम्पन्न किया गया।

(3) कार्यालय का कार्य क्षेत्र :– इस कार्यालय का कार्यक्षेत्र जिला अन्तर्गत सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना विधि व्यवस्था बनाए रखना एवं गणमान्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा माँगे गए अंगरक्षक को जिला सुरक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त भुगतान के आधार पर अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति करना एवं इसके अलावे प्रतिष्ठित संस्थान यथा जिला अन्तर्गत बैंक, डाकघर आदि को भुगतान के आधार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दखल दिहानी के निमित भुगतान के आधार पर सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के साथ ही बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को रोकड़ लाने ले जाने हेतु मार्गरक्षी दल उपलब्ध कराना।

4. वित्तीय स्त्रोत :– सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन के अलावे अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति (प्रतिष्ठित व्यक्तियों, प्रतिष्ठित संस्थानों) दखल दिहानी एवं गाड़ियों के निलामी से प्राप्त राजस्व।

5. वर्ष 97–98 से 2012 – 13 तक कार्यालय द्वारा कोषागार में जमा राजस्व की राशि का सत्यापन नवादा कोषागार अभिलेखों से किया गया तथा शत–प्रतिशत् सही पाया गया।

6. महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति – निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण अनुपालन की समीक्षा नहीं की गयी।

7. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :– आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, नवादा में वर्ष – 1997–98 से 2004–05 तक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भुगतान के आधार पर अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति को भुगतान के आधार पर अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी थी। इस संबंध में कमान पंजी जिला सुरक्षा समिति की कार्यवाही एवं संचिका की अभियाचना लिखित एवं मौखिक रूप से माँग की गयी, परन्तु फलाफल शून्य रहा। प्रसंगवश अंकेक्षण द्वारा अन्य अभिलेख यथा चालान पंजी एवं आर0 सी0 की जाँच में पाया गया कि वास्तविक रूप से इस जिला में वर्ष – 1997–98 से 2004–05 तक प्रतिष्ठित व्यक्तियों नहीं की गयी थी। वर्ष 2005–06 से 12–13 तक उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराए गए अंगरक्षक के विरूद्ध अनुमान्य राशि की गणना एवं जाँच कर वर्ष वार प्रतिवेदन के परिशिष्ट में तैयार कर संल्गन किया गया है। परिशिष्ट ''घ'' द्रष्टव्य।

(ख) प्रतिष्ठित संस्थानों यथा बैंक, डाकघर आदि को भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड से संबंधित अभिलेखों के आधार पर वर्ष –1997–98 से 2012–13 तक की वर्षवार विवरणी प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि जिला अन्तर्गत प्रतिष्ठित संस्थानों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्ड के विरूद्ध अनुमान्य राशि की वसूली कर कोषागार में जमा कराया गया था। जिसका सत्यापन कोषागार अभिलेख से किया गया एवं सही पाया गया इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर द्रष्टव्य।

(ग) माननीय न्यायालय के आदेश पर दखल दिहानी में लगे सुरक्षा गार्ड, मार्ग रक्षी दल, वाहन एवं अन्य सामाग्रियों की नीलामी से प्राप्त राशि की जाँच उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से

किया गया। इससे संबंधित विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" में वर्षवार तैयार कर संलग्न किया गया है जिसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि उक्त मामले में वर्ष 1997–98 से 2012–13 के अन्तर्गत अनुमान्य राशि के विरूद्ध शत् प्रतिशत् राशि वसूली एवं कोषागार में जमा किया गया, जिसका सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त क्रमांक क, ख, ग, में अंकित विवरण (राजस्व प्राप्तियाँ से संबंधित) वर्षवार तैयार कर परिशिष्ट घ के रूप में प्रतिवेदन में संलग्न किया गया।

वसूली एवं जमा की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है।

| | |
|---|---|
| 1 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भुगतान के आधार उपलब्ध कराए गए अंगरक्षक से प्राप्त राशि (वर्ष 2005–06 से 08–09 एवं 2010–11) | 1844568.00 |
| 2 प्रतिष्ठित संस्थानों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा बलों से प्राप्त कुल राशि ( वर्ष 1997–98 से 2012–13) | 4530460.00 |
| 3 मार्गरक्षी दल से मात्र कुल राशि (वर्ष 2003–04 से 2007–08 एवं 2010–11 से 11–12) | 127753.00 |
| 4 दखल दिहानी से प्रात्र कुल राशि ( 05–06 एवं 07–08 से 10 –11) | 29133.00 |
| 5 निलामी से प्राप्त कुल राशि (वर्ष 97–98, 2010–11, 2012–13) | 489250.00 |
| कुल रू0 | 7021164.00 |

इस प्रकार विभिन्न मदों में प्राप्त राजस्व की राशि रू0 7021164.00 कोषागार में जमा किया हुआ पाया गया। इस प्रकार उपर्युक्त विभिन्न मदों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कुल रू0 7021164.00 वर्ष 1997–98 से 2012–13 की वसूली एवं जमा पायी गयी।

प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि विभिन्न मदों में वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक की अवधि में अभिलेखों के आधार पर वास्तविक रूप से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त होने योग्य राजस्व की गणना कर यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त जमा राशि प्राप्त होने योग्य राजस्व राशि के अनुरूप है या नहीं। कम वसूली एवं जमा की स्थिति में संबंधित कर्मी / प्रतिष्ठानों / माननीयों से राजस्व क्षति की वसूली अपेक्षित होगा। तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई भी की जा सकती है।

4. अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत बल / कार्यरत बल / रिक्त पदों का विवरण – शून्य।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
बबन सिंह, व0अं0-2

| परिशिष्ट क कंडिका 1 घ से संबंधित। | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नियंत्री पदाधिकारी का नाम से संबंधित सूची :– | | | | |
| क्रमांक | नियंत्री पदाधिकारी का नाम | पदनाम | अवधि | अभ्युक्ति |
| 1 | श्री नीलमणी | आरक्षी उप महा0 | 01.04.97 से 28.11.97 | |
| 2 | श्री डा0 के बी सिंह | आरक्षी उप महा0 | 03.12.97 से 21.01.98 | |
| 3 | श्री ए0 सी0 वर्मा | आरक्षी उप महा0 | 21.1.98 से 21.3.98 | |
| 4 | श्री भी नारायण | आरक्षी उप महा0 | 01.04.98 से 22.7.98 | |
| 5 | श्री अशोक कुमार सिन्हा | आरक्षी उप महा0 | 22.7.98 से 23.8.98 | |
| 6 | श्री एस0 के भारद्वाज | आरक्षी उप महा0 | 24.8.98 से 12.11.99 | |
| 7 | श्री बी0 सी0 वर्मा | आरक्षी उप महा0 | 12.11.99 से 25.11.2000 | |
| 8 | श्री एन0 सी0 दोंदियाल | आरक्षी उप महा0 | 27.11.2000 से 21.12.03 | |
| 9 | श्री पियुष ए0 के0 बस | आरक्षी उप महा0 | 24.12.03 से 09.12.04 | |
| 10 | श्री सुनील कुमार | आरक्षी उप महा0 | 09.12.04 से 20.12.05 | |
| 11 | श्री अरविन्द कुमार दास | आरक्षी उप महा0 | 24.12.05 से 30.06.06 | |
| 12 | श्री उमेश कुमार सिंह | आरक्षी उप महा0 | 30.06.06 से 20.4.07 | |
| 13 | श्री सुनील कुमार | आरक्षी उप महा0 | 21.04.07 से 23.5.07 | |
| 14 | श्री प्रवीण कुमार | आरक्षी उप महा0 | 24.5.07 से 19.02.09 | |
| 15 | श्री अनुपमा एस निलोकर | आरक्षी उप महा0 | 19.02.09 से 19.4.10 | |
| 16 | श्री जीतेन्द्र कुमार | आरक्षी उप महा0 | 21.04.10 से 12.02.11 | |
| 17 | श्री उमेश कुमार | आरक्षी उप महा0 | 13.2.11 से 06.8.11 | |
| 18 | श्री मो0 नैययर हसनैन | आरक्षी उप महा0 | 06.8.11 से 31.3.13 | |

| परिशिष्ट ''ख'' कंडिका ''ड़'' से संबंधित :– | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निकासी व्ययन पदाधिकारी एवं कर्मचारी से संबंधित सूची :– | | | | |
| क्रमांक | निकासी व्ययन पदाधिकारी का नाम | पदनाम | अवधि | अभ्युक्ति |
| 1 | श्री बी0 अहमद | आरक्षी अधीक्षक | 01.04.98 से 20.4.98 | |
| 2 | श्री यू0 के0 सिंह | आरक्षी अधीक्षक | 21.04.98 से 4.5.99 | |
| 3 | श्री एस0 भी0 पी0 सिन्हा | आरक्षी अधीक्षक | 4.5.99 से 8.6.2000 | |
| 4 | श्री जे0 एस0 गंगवार | आरक्षी अधीक्षक | 8.6.2000 से 28.8.02 | |
| 5 | श्री बी0 बी0 प्रसाद | आरक्षी अधीक्षक | 7.10.02 से 17.2.03 | |
| 6 | श्री बी0 प्रसाद | आरक्षी अधीक्षक | 28.7.03 से 10.12.04 | |
| 7 | श्री मो0 सोअेव खान | आरक्षी अधीक्षक | 10.12.04 से 17.10.05 | |
| 8 | श्री कुन्दन कृष्णन | आरक्षी अधीक्षक | 17.1.05 से 10.2.05 | |
| 9 | श्री जे0 पी0 एन0 सिंह | आरक्षी अधीक्षक | 13.12.05 से 02.8.05 | |
| 10 | श्री शालीन | आरक्षी अधीक्षक | 2.8.05 से 17.9.6 | |
| 11 | श्रीमती अनुपमा एस0 निलेकर | आरक्षी अधीक्षक | 31.10.06 से 11.11.06 | |
| 12 | श्री विनोद कुमार | आरक्षी अधीक्षक | 23.5.07 से 23.12.08 | |
| 13 | श्री निशांत कुमार तिवारी | आरक्षी अधीक्षक | 23.12.08 से 28.7.09 | |
| 14 | श्री अनिल किशोर यादव | आरक्षी अधीक्षक | 29.7.9 से 18.04.10 | |
| 15 | श्री जी0 पी0 सिन्हा | आरक्षी अधीक्षक | 22.4.10 से 14.02.11 | |
| 16 | श्री पंकज कुमार राज | आरक्षी अधीक्षक | 15.2.11 से 2.10.11 | |
| 17 | श्री सुरेन्द्र लाल दास | आरक्षी अधीक्षक | 2.10.11 से 30.6.12 | |
| 18 | श्री निशांत कुमार तिवारी | आरक्षी अधीक्षक | 2.07.12 से 16.07.12 | |
| 19 | श्री ललन मोहन प्रसाद | आरक्षी अधीक्षक | 16.7.012 से 31.3.13 | |

| क्रमांक | लेखा पाल का नाम | पदनाम | अवधि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री देवेन्द्र प्रसाद | — | 01.04.97 से 31.05. 2002 | |
| 2 | श्री युगल पासवान | — | 01.6.2002 से 27.8.05 | |
| 3 | श्री पंकज कुमार | — | 28.8.05 से 31.8.07 | |
| 4 | श्री सुबोध कुमार | — | 1.09.07 30.9.10 | |
| 5 | श्री अजुन प्रसाद | — | 01.10.10 से 25.07.11 | |
| 6 | श्री विश्वनाथ शर्मा | — | 26.7.11 से 31.3.13 | |
| | | | | |

## परिशिष्ट "ग"

## कंडिका 1 'ट' से संबंधित

## प्रस्तुत अभिलेखों की सूची –

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

| | |
|---|---|
| (i) | रेमिटान्स पंजी – वर्ष – 97–98 से 2012–2013 |
| (ii) | आर0 सी0 – वर्ष – 97–98 से 2012–2013 |
| (iii) | चलान की कार्यालय प्रति – वर्ष – 97–98 से 2012–2013 |
| (iv) | सुरक्षा गारद से संबंधित संचिका की प्रतिनियुक्ति – वर्ष – 2005–06 से 2012–2013 |
| (v) | कमान पंजी – वर्ष – 2005–06 से 2012–2013 |
| (vi) | रोकड़ पुस्त :– वर्ष – 97–98 से 2012–2013 |
| (vii) | जिला सुरक्षा समिति की कार्यवाही पंजी बैठक को संचिका– वर्ष – 2005–06 से 2012–2013 |

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. कमान पंजी – वर्ष – 97–98 से 2004–2005
2. जिला सुरक्षा समिति की कार्यवाही पंजी – वर्ष – 97–98 से 2004–2005

)

कंडिका 3 परिशिष्ट "घ" से संबंधित।

समेकित राजस्व प्राप्ति योग्य राजस्व से प्राप्त एवं जमा राशि की विवरणी वर्ष – 1997 – 98 से 2012 – 13

| क्रमांक | वर्ष | प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भुगतान के आधार पर दिये गये अंगरक्षक की बकाया राशि | वसूल की गई राशि | अवशेष राशि | विभिन्न प्रतिष्ठिनों में प्रति नियुक्ति सुरक्षा गार्ड की बकाया राशि | वसूल की गई राशि | अवशेष राशि | एस्कार्ट से प्राप्त राजस्व की बकाया राशि | वसूल की गई राशि | अवशेष राशि | दखल देहानी से प्राप्त राजस्व से संबंधित बकाया राशि | वसूल की गई राशि | अवशेष राशि | वाहन एवं अन्य सामग्रियों से प्राप्त राजस्व की बकाया राशि | वसूल की गई राशि | अवशेष राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1997 - 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,46,000.00 | 2,46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 1998 - 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,87,000.00 | 2,87,000.00 | 0.00 | 7,768.00 | 7,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 0.00 | |
| 3 | 1999 - 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,66,500.00 | 2,66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2000 - 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,40,936.00 | 2,40,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2001 - 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,46,000.00 | 2,46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2002 - 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,46,000.00 | 2,46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2003 - 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,92,958.00 | 2,92,958.00 | 0.00 | 11,608.00 | 11,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2004 - 05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,53,324.00 | 2,53,324.00 | 0.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2005 - 06 | 4,61,438/- | 4,61,438.00 | 0.00 | 3,13,693.00 | 3,13,693.00 | 0.00 | 18,416.00 | 18,416/- | 0.00 | 10,356/- | 10,356/- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2006 - 07 | 8,61,230/- | 8,61,230/- | 0.00 | 2,52,263/- | 2,52,263/- | 0.00 | 7,818/- | 7,818/- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2007 - 08 | 4,03,776.00 | 4,03,776.00 | 0.00 | 2,79,690.00 | 2,79,690.00 | 0.00 | 5,418.00 | 5,418.00 | 0.00 | 3,968.00 | 3,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2008 - 09 | 43,514.00 | 43,514.00 | 0.00 | 2,27,098.00 | 2,27,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,435.00 | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2009 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,93,852.00 | 2,93,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,187.00 | 4,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2010 - 11 | 74,610.00 | 74,610.00 | 0.00 | 2,92,522.00 | 2,92,522.00 | 0.00 | 9,834.00 | 9,834.00 | 0.00 | 4,187.00 | 4,187.00 | 0.00 | 4,48,700.00 | 4,48,700.00 | 0.00 | |
| 15 | 2011 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,31,179.00 | 3,31,179.00 | 0.00 | 64,679.00 | 64,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2012 - 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,61,445.00 | 4,61,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | |
| | | 1844568/- | 1844568/- | 0.00 | 4530460/- | 45,30,460/- | 0.00 | 127753.00 | 127753.00 | 0.00 | 29133.00 | 29133.00 | 0.00 | 4,89,250/- | 4,89,250/- | 0.00 | |